न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा।

पीठासीन अधिकारी – हरिताभ कुमार आदित्य आर.ए.एस.

मु0 नं0 – 95/2017
प्रकरण दर्ज – 30.6.2017
प्रकरण निस्तारण – 15.1.2020

अनुवानी प्रकरण

प्रभू पुत्र गिर्राज जाति गुर्जर निवासी चांदूसा तहसील सिकराय जिला दौसा (राज0)।

– वादी

बनाम

1. शिवलाल पुत्र गिर्राज जाति गुर्जर निवासी चांदूसा तहसील सिकराय जिला दौसा (राज0)।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिकराय जिला दौसा।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक –15.1.2020

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वाद के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार हैं कि आराजी खसरा नंबर 90, 340, 353, 360, 362, 399 कुल किता 6 कुल रकबा 5.6300 हैक्टेयर वाके रामा चांदूसा तहसील सिकराय मे स्थित है। उक्त भूमि के सम्बन्ध मे दावा तकास्मा का इस न्यायालय द्वारा दिनांक 4.6.2018 को वाके रामा चांदूसा तहसील सिकराय मे स्थित खसरा नंबर 90, 340, 353, 360, 362, 399 कुल किता 6 कुल रकबा 5.6300 हैक्टेयर संयुक्त खातेदारी भूमि का मुताबिक दर्ज हिस्सा जमाबन्दी के आधार पर प्राथमिक डिक्री किया गया। मुताबिक प्राथमिक डिक्री के अनुसार तहसीलदार सिकराय को कुरेजात तैयार करने हेतु लिखा गया। तहसीलदार सिकराय ने उक्त वादग्रस्त आराजी का विभाजन के सम्बन्ध मे अपने पत्रांक भू.अ./2020/82 दिनांक 10.1.2020 द्वारा कुरेजात पेश किये। बंटवारा रिपोर्ट पर वकील वादी को सुना गया। बटवारा रिपोर्ट सही होना पाया गया। मुताबिक कुरेजात वकील वादी ने बटवारा दावा अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

विद्वान वकील वादी की बहस का मनन किया एवं पत्रावली व कुरेजात का अवलोकन किया। इस प्रकरण मे तहसीलदार सिकराय से प्राप्त कुरेजात बटवारा रिपोर्ट के अनुसार दावा अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि तहसीलदार सिकराय से प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट के अनुसार खसरा नंबर 90/1 रकबा 1.08 हैक्टेयर, 90/2 रकबा 0.01 हैक्टेयर,

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय, जिला–दौसा

Scanned by CamScanner

340/2 रकबा 0.12 हैक्टेयर, 353/2 रकबा 0.16 हैक्टेयर, 362/1 रकबा 0.37 हैक्टेयर, 362/3 रकबा 0.05 हैक्टेयर, 399/2 रकबा 0.11 हैक्टेयर, 399/3 रकबा 0.01 हैक्टैयर, 399/4 रकबा 0.90 हैक्टेयर कुल किता 9 कुल रकबा 2.82 हैक्टेयर भूमि प्रभू पुत्र गिर्राज जाति गुर्जर सा.देह. खातेदार राहिन एस.बी.बाई शाखा सिकराय मूर्तहीन हिस्सा रहेगा एवं खसरा नंबर 90/3 रकबा 0.01 हैक्टैयर, 90/4 रकबा 1.07 हैक्टैयर, 340/1 रकबा 0.12 हैक्टेयर, 353/1 रकबा 0.16 हैक्टेयर, 360 रकबा 0.06 हैक्टेयर, 362/2 रकबा 0.37 हैक्टेयर, 399/1 रकबा 0.11 हैक्टेयर, 399/5 रकबा 0.91 हैक्टेयर कुल किता 8 कुल रकबा 2.81 हैक्टेयर भूमि शिलाल पुत्र गिर्राज ताति गुर्जर राहिन पी.एन.बी. शाखा सिकराय मूर्तहीन सा.देह हिस्सा रहेगा। कुरेजात डिक्री का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 15.1.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

15/1/2020

उपखण्ड अधिकारी

हरिलाभ कुमार आदित्य

सिकराय जिला-दौसा

उपखण्ड अधिकारी सिकराय।

राज पंचायत प्रकाशन, जयपुर-3 फोन : 312402

अन्तिम

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम सिकराय

व इजलास श्री हरलाल कुमार मीणा RAS

मुद्दई .... बनाम ....

दावा बाबत ....

मुकदमा नं. 95/17 सन् ....

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू ....

व हाजिरी — मिनजानिब मुदई रूबरू

मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

....

बिला मुबलिग बाबत

खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह फीसदी .... आज की तारीख से

तारीख अदायगी तक का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 15-1-20 माह सन् को

15/1/2020

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी

ओहदेदार सिकराय जिला-दौसा

	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प ... सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

... डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं ... दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner